न्यायालयः उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा संख्याः– 31/2023
जी सी एम एस न0 2023/703

दर्ज दिनांक 26.06.2023
निर्णय दिनांकः– 03.07.2023.

1. अमर कंवर पत्नी जसंवतसिंह
2. छगनसिंह पुत्र जसवंत सिंह
3. जितेन्द्र सिंह पुत्र लिछमण सिंह
4. धर्मेन्द्रसिंह पुत्र जसंवत सिंह
5. नरेन्द्र सिंह पुत्र जसवंत सिंह
6. बदन कंवर पत्नी लिछमण सिंह
7. रविद्रसिंह पुत्र लिछमण सिंह
8. राजेन्द्रसिंह पुत्र जसवंत सिंह
9. विरेन्द्रसिंह पुत्र जसवंत सिंह
10. सुमन कंवर पुत्री लिछमणसिंह
11. सुरेन्द्रसिंह पुत्र लिछमणसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण हांसलसर तहसील गुढागौडजी जिला झुन्झुनूं

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार एवं लैण्ड होल्डर गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 128 भू राजस्व अधिनियम बाबत् पत्थरगढी

निर्णय

निर्णय दिनांकः– 03.07.2023

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना इस आशय का पेश किया है कि ग्राम हासंलसर की सरहद में प्रार्थिया की खातेदारी भूमि खसरा न. 1144, 1145 अवस्थित है जिसके प्रार्थीगण भी खातेदार है उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 21.06.2023 को पटवारी हल्का हासंलसर ने मौके पर जाकर सीमाज्ञान किया तथा फर्द सीमाज्ञान तैयार किया था। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि फर्द सीमाज्ञान दिनांक 21.06.2023 के अनुसार ग्राम हासंलसर की सरहद में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा न. 1144, 1145 का मौके पर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर तलवी वास्ते जबाबदेही दी गई।

अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित होकर सहमति दी।

बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान [illegible] प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि [illegible] में सीमाज्ञान दिनांक 21.06.2023 के अनुसार ग्राम हासंलसर [illegible] सरहद में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा न. 1144, [illegible] का मौके पर पत्थरगढ़ी के आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.08.07 17:45:25 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का ध्यानपूवक अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार ग्राम हासंलसर में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा न. 1144, 1145 भूमि अवस्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है। अतः प्रार्थीगण उक्त खसरा नम्बर की पत्थरगडढी करवाने के अधिकारी है तथा इस बाबत् अप्रार्थी संख्या 1 ने आदेशिका पर सहमति दी। उक्त विवेचन से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है

आदेश

प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगडढी स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार गुढ़ागौड़जी को आदेशित किया जाता हैं कि फर्द सीमाज्ञान दिनांक 21.06.2023 के अनुसार ग्राम हासंलसर की सरहद में प्रार्थिगण की खातेदारी भूमि खसरा न. 1144, 1145 में पक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार शुल्क जमा कर सीमाचिन्ह यानी पत्थरगडी करवावे।

Sd/- 3/7/23
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.08.07 17:45:25 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 03.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sd/- 3/7/23
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी